

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर, वैशाली के अन्तर्गत नीचे वर्णित पद हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक आवेदक स्व0 हस्तलिखित आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में ए4 कागज पर दो अभिप्राणित पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन-पत्र पर चिपका कर अपने सभी शैक्षणिक/आचरण एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र की अभिप्राणित प्रति एवं एक स्व0 पता लिखा हुआ मो0 30 (तीस) रूपया का स्टाम्प लिफाफा संलग्न कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि **विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर** निश्चित रूप से कार्यालय अवधि तक पहुँच जाय। अधूरा/दोषपूर्ण एवं विलम्ब से पहुँचे आवेदन-पत्र को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

- पद का नाम** :— अनुसेवी (पूर्ण तरह से अस्थायी)
- शैक्षणिक योग्यता** :— आवेदक को 10वीं पास होना आवश्यक है और हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ने-लिखने का ज्ञान होना चाहिए।
- अन्य योग्यता** :— आवेदक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ताकि वह कठिन कार्य का जिम्मा ले सके और साईकिल चलाने की जानकारी अवश्य होनी चाहिए।
- पदों की संख्या** :— 10 (दस) बिहार सरकार में लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
- मानदेय** :— अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित बिहार सरकार के पारिश्रमिक दर से भुगतान देय होगा, जो केवल कार्य दिवस के दिन का ही होगा। किसी भी प्रकार का सवैतनिक अवकाश देय नहीं होगा।

सामान्य अनुदेश

- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
- अच्छे चरित्र का हो।
- आयु सीमा :— बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प दिनांक 22.06.2006 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा 1ली जनवरी, 2025 को निम्न प्रकार से होगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष)	:— 37 वर्ष से अधिक नहीं
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	:— 40 वर्ष से अधिक नहीं
(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला)	:— 40 वर्ष से अधिक नहीं
(घ) अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति (पुरुष एवं महिला)	:— 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 यह बहाली पूरी तरह से अस्थायी होगी, जो अधिकतम एक वर्ष या अनुसेवी के नई नियुक्ति होने (जो पहले हो) तक के लिए मान्य होगा। चयनित अभ्यर्थी कभी भी स्थायी नियुक्ति हेतु दावा नहीं करेंगे तथा चयनित अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।
- आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी को ही मिलेगा और साक्षात्कार के समय मूल निवास प्रमाण-पत्र दिखाना होगा।
- यदि किसी स्तर पर भी यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है या उनके द्वारा गलत सूचना दी गयी है या सही सूचना छिपाने की कोशिश की गयी है तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- आवेदक यदि निबंधित हो तो नियोजनालय का नाम तथा नियोजन संख्या यदि कोई हो तो दे सकते हैं।
- अंतिम तिथि के बाद या अधूरा या त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- रिक्तियाँ आरक्षण एवं रोस्टर के नियमों द्वारा भरी जायेगी।
- साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- आवेदक को यह उद्घोषणा करनी होगी कि क्या उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित है या नहीं? क्या आवेदक किसी आपराधिक मामले में दोषी पाये गये हैं? (यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें)
- भविष्य में यदि विज्ञापन में कोई संशोधन किया जाता है तो वह भी विज्ञापन का अंश माना जाएगा।

आवेदन-पत्र एवं विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।